प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर** वर्ष **2023** प्र0सू0रि0 सं. ..215/2023....दिनांक....8/8/2023.....
2. (I) अधिनियम .....**7, 7क, 8 यथासंशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018**
   (II) अधिनियम ...भा0द0स0 ..... धारायें ... **120बी भा.द.सं.**
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....165.....समय 8.30 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन **रविवार** दिनांक **06.08.2023 समय 6.00 पी.एम.**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक- .....समय- .....
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक **सूत्रों द्वारा सूचना**
5. घटनास्थल:- **सड़क आम, चौमू पुलिया, जयपुर**

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- **करीब 10 किलोमीटर बजानिब दिशा उत्तर**

(ब) पता-
बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम :- **श्री राजेश राव, पुलिस निरीक्षक, प्रभारी तकनीकी शाखा भ्रनिब्यूरो, जयपुर**
   (ब) पिता/पति का नाम -
   (स) जन्म तिथी/वर्ष -
   (द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय- **सरकारी नौकरी**
   (ल) पता-

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : -

1. श्री मायालाल सैनी पुत्र श्री छाजुराम सैनी उम्र 52 साल निवासी 1104, कोठी की ढाणी, सिंघाणा, भैसावत कंला, झुन्झुनू (तहसील बुहाणा) हाल अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, डिवीजन खण्ड बहरोड़, अलवर
2. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री गजराज उम्र 35 साल निवासी गांव सिरयाणी पुलिस थाना शाहजहांपुर तहसील निमराणा जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग निमाराणा जिला अलवर
3. श्री राकेश सिंह पुत्र ओमपाल सिंह उम्र 31 साल निवासी ग्राम गूगल कोटा, पुलिस थाना शाहजहांपुर तहसील निमराणा जिला अलवर हाल सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग निमाराणा जिला अलवर
4. श्री मलकेत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह उम्र 37 साल निवासी राजपुतो का मौहल्ला, सांगानेर, झाई, जयपुर (गांव बमोरिया पुलिस थाना महेन्द्रा सेज,) हाल सुपरवाईजर व ड्राईवर श्री श्याम ट्यूबेल कंपनी जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति)

5. श्री पदमचन्द जैन पुत्र स्व0 श्री रामकरण जैन उम्र 61 साल निवासी मकान नं0 09, कान्ति नगर, स्टेशन रोड़, पोलो विक्ट्री जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति)
6. श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सतीश कुमार अग्रवाल उम्र 51 साल निवासी मकान नं0 90, इस्कॉन रोड़, इस्कॉन मन्दिर के पास, मानसरोवर, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति)
7. श्री महेश मित्तल, ठेकेदार फर्म गणपति ट्यूबवेल कम्पनी (प्राईवेट व्यक्ति)
8. श्री उमेश शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति)
9. श्री पियूष जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन (प्राईवेट व्यक्ति)
10. अन्य लोक सेवक एवं प्राईवेट व्यक्ति

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) 2,20,000 रूपये
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....2,20,000. /-**रूपये**
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

हालात मामला इस प्रकार से निवेदन है कि श्री राजेश राव, पुलिस निरीक्षक, प्रभारी तकनीकी शाखा भ्रनिब्यूरो, जयपुर द्वारा दिनांक 06.08.2023 को एक गोपनीय सूत्र सूचना रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि ''जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में टैण्डर प्राप्त करने, बिलों के भुगतान, कार्य में अनियमितताओं के लिये अवैद्य संरक्षण प्राप्त करने के लिये ठेकेदार पदम जैन द्वारा सम्बन्धित लोकसेवकों को रिश्वत राशि नियमित रूप से प्रदान की जा रही है।'' उक्त सूत्र सूचना का गोपनीय सत्यापन तथा तकनीकी विश्लेषण किया गया तो सूचना के तथ्यों की पुष्टि हुई तथा यह भी प्रकट हुआ कि उनके इस कार्य में उनके साले श्री महेश मित्तल तथा कर्मचारी प्रवीण एवं उमेश शर्मा भी संलिप्त है, इस पर सम्बन्धित संदिग्ध व्यक्ति श्री पदम जैन, ठेकेदार द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. 9829215258 तथा 6350309651, श्री महेश मित्तल द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. 9828578936 व 9549650922, श्री उमेश शर्मा द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. 9116600516 एवं श्री प्रवीण द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. 8112260937 .को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त नियमानुसार अन्तावरोध पर लिया गया तथा श्री केशर सिंह, सहायक उपनिरीक्षक एवं श्री राहुल शर्मा हैडकानि. द्वारा गोपनीय सूचना के सत्यापन के कम में संदिग्धों की गोपनीय निगरानी करते हुए अन्तावरोध वार्ताओं को सुना गया।अन्तावरोध अवधि की वार्ताओं को सुनने से यह प्रकट हुआ कि श्री पदम जैन, ठेकेदार द्वारा अपनी फर्म श्याम ट्यूबवेल कम्पनी तथा श्री महेश मित्तल द्वारा अपनी फर्म गणपति ट्यूबवेल के नाम से जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, बहरोड, अलवर तथा राज्य में अन्य स्थानों पर टैण्डर प्राप्त किये जाकर कार्य किया जा रहा है, उक्त कार्यो के सम्पादन में अनियमितताओं में अवैध संरक्षण, निविदा शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं करने में सुलभता प्रदान किये जाने, अनुचित रूप से बिलों के भुगतान प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित स्थानों पर पदस्थापित जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में पदस्थापित अधिशाषी अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मिलीभगत करते हुए, नियमित रूप से भारी मात्रा में रिश्वत राशि की मांग की जाकर अवैद्य पारितोषण प्राप्त किया जा रहा है। प्रकरण से सम्बन्धित अन्तावरोध अवधि में संदिग्ध व्यक्तियों की आपस में एवं अन्य व्यक्तियों से की गई संदिग्ध वार्ताओं का सार निम्नानुसार है :-

1. दिनांक 20.05.2023 को समय 19:10:34 पर श्री महेश मित्तल के मोबाईल नम्बर 9828578936 तथा श्री पदमचन्द जैन के मोबाईल नम्बर 9829215258 के मध्य हुई वार्ता में

दोनो हरियाणा के ऑफिसरों के माध्यम से वहां से सम्बन्धित कार्यो में चोरी किये गये सामान को कय करने के बारे में वार्तालाप करते है। वार्ता के दौरान ही दोनो शाहपुरा मण्डल के कार्यो के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को रिश्वत देकर कार्य करवाने के बारे में वार्ता करते है।

2. दिनांक 21.05.2023 को समय 21:15:49 पर श्री महेश मित्तल के मोबाईल नम्बर 9828578936 तथा श्री पदमचन्द जैन के मोबाईल नम्बर 6350309651 के मध्य हुई वार्ता में महेश मित्तल, पदमचन्द जैन को बताता है कि वह महेन्द्रगढ के एस.ई. के साथ मीटिंग होना बताता है और कहता है कि 60 प्रतिशत की राशि पर पाईप बेचेंगे, जिन्दल वाले का माल आता है, 20-20 गाडी दे देंगे एक साथ, वही रास्ते में उतरवा देंगे, तो पदमचन्द जैन कहता है कि अपने को मरना है क्या इतना माल एक साथ लेकर, अपन तो थोडा थोडा लेंगे, किसी को भनक नही लगनी चाहिये, इस पर महेश मित्तल कहता है कि सारा पैसा कैश में देना होगा, जिस पर पदमचन्द जैन सहमति देता है। वार्ताओं से स्पष्ट है कि दोनो अन्य राज्यों में सप्लाई होने वाली सामग्री सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर चोरी से खरीदते है और इस सामग्री का अपने कार्यो में प्रयोग करते है।

3. दिनांक 30.05.2023 को समय 20:22:09 पर श्री महेश मित्तल के मोबाईल नम्बर 9549650922 तथा श्री हेमन्त मित्तल के मोबाईल नम्बर 8696321111 के मध्य हुई वार्ता में महेश मित्तल अपने पुत्र हेमन्त मित्तल उर्फ गोलू को बताता है कि उसके पास मायालाल सैनी आये हुए है और बिलों के भुगतान से सम्बन्धित कमीशन दो लाख सत्तर हजार रूप्ये रिश्वत की मांग कर रहे है, जिस पर हेमन्त उर्फ गोलू दो लाख पचास हजार करने के लिये कहता है, तो महेश मित्तल मायालाल से बात करवाता है। वार्ता में मायालाल सैनी, हेमन्त उर्फ गोलू को बिलों के भुगतान की कमीशन राशि कम नहीं करने और पूरे दो लाख सत्तर हजार रूप्ये देने के लिये महेश मित्तल को निर्देश देने के लिये कहता है, तो हेमन्त सहमति देते हुए पिता को ढाई लाख रूप्ये देने के लिये कहता है। वार्ता में मायालाल सैनी, स्पष्ट रूप से बिलों के भुगतान के लिये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है।

4. दिनांक 30.05.2023 को समय 20:25:27 पर श्री महेश मित्तल के मोबाईल नम्बर 9549650922 तथा श्री हेमन्त मित्तल के मोबाईल नम्बर 8696321111 के मध्य हुई वार्ता के प्रारम्भ में महेश मित्तल किसी अन्य व्यक्ति को ऊपर से ढाई लाख रूप्ये लाने के लिये कहता है तत्पश्चात् मायालाल सैनी से बात करवाता है तो मायालाल, हेमन्त उर्फ गोलू को अपने पिता को उसके लिये नया मोबाईल और रिश्वत राशि पूरे दो लाख सत्तर हजार रूप्ये देने के लिये कहता है, तो हेमन्त सहमति देते हुए पिता से बात करवाने के लिये कहता है, जिस पर मायालाल, महेश मित्तल का राशि लेने ऊपर जाना बताता है।

5. दिनांक 3.06.2023 को समय 9:50:43 पर श्री महेश मित्तल के मोबाईल नम्बर 9549650922 तथा श्री मायालाल सैनी, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9982510982 के मध्य हुई वार्ता में महेश मित्तल, मायालाल सैनी को कहता है कि गोलू आपको सर्किल अलवर में मिला तब एस.ई. को लिफाफा आपने अपने हाथ से दिया था ना तो मायालाल कहता है कि गोलू ने ही दिये थे, तो महेश मित्तल अपने पुत्र हेमन्त मित्तल उर्फ गोलू से बात करवाता है तो गोलू कहता है कि आपके सामने ही तो दिये थे, तो मायालाल सहमति देता है कि हां मेरे सामने ही दिये थे, जिस पर महेश मित्तल कहता है कि वो एस.ई.मना कर रहा है कि मुझे नहीं दिये गये तो मायालाल समझाता है कि दी गई रिश्वत राशि में आठ कम थे, ये कह रहा है वो तो महेश मित्तल कहता है कि पांच हजार के हिसाब से तो पूरे दे दिये उसको। वार्ता से स्पष्ट है कि मायालाल अधिशाषी अभियन्ता स्वयं रिश्वत प्राप्त करता ही है, साथ ही उच्चाधिकारियों के लिये रिश्वत पहुंचाने के माध्यम का भी काम करता है।

6. दिनांक 15.06.2023 को समय 17:08:47 पर श्री पदमचन्द जैन के मोबाईल नम्बर 9829215258 तथा श्री उमेश के मोबाईल नम्बर 9116600516 के मध्य हुई वार्ता में पदमचन्द जैन, उमेश से वार्ता करते हुए कहता है कि बहरोड. वाले से बात कर लो कि मै माल लेकर आउं या जयपुर लेगा, मै तुम्हें दे दूं एडवांस, इस पर उमेश बताता है कि मेरे पास तो डीए का भी फोन आ गया और एक्सईन का भी फोन आ गया उन्होने पूछा कि कितने का बिल ला रहे हो, इस पर पदम कहता है कि बता दो सवा का तो कल ला रहा हूँ और बाकि ला रहा हूँ दो दिन बाद, इस पर उमेश कहता है कि मैने कह तो दिया कि प्राइस एक्सीलेशन वाला ला रहा हूँ साहब, बस थोडा सा आप प्रेशर बनाना, इस पर पदम कहता है कि तुम समझते ही नही हो, तुम तो माल दिखाओ अगले को, इन्होनें तो पांच मे ही करवाया है उससे, अपने 7-8 की बात करके करवा लाओ एक्सईन से, तुम तो एक्सईन को बोलो कि आ रहे हो क्या शाम को तुम्हें माल एडवांस दे दूं, बात कर लो अलग से वीडियो कॉल करके उससे, कितना परसेन्ट लाउं और दो करोड वाला लाउंगा सोमवार को बात कर लो उससे, इस पर उमेश कहता है ठीक है।

7. दिनांक 16.06.2023 को समय 8:41:00 पर श्री पदमचन्द जैन के मोबाईल नम्बर 9829215258 तथा श्री मायालाल सैनी, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9982510982 के मध्य हुई वार्ता में पदम जैन, मायालाल से कहता है कि आप आये नहीं जयपुर तो मायालाल बताता है कि मै तो रात में ही जाकर वापस बहरोड. आ गया था, तत्पश्चात् पदम जैन कहता है कि उमेश जी के साथ मै सामान भेज रहा हूँ, तुम वहीं कर करा लेना, तो मायालाल सहमति देते हुए कहता है कि ठीक है।

8. दिनांक 16.06.2023 को समय 8:42:45 पर श्री पदमचन्द जैन के मोबाईल नम्बर 9829215258 तथा श्री उमेश के मोबाईल नम्बर 9116600516 के मध्य हुई वार्ता में पदमचन्द जैन, उमेश को मायालाल अधिशाषी अभियन्ता से हुई वार्ता का अपडेट देता है कि मायालाल बता रहा था कि वह जयपुर आया था रात को और रात को ही निकल गया, मेरी बात हो गई उससे मैने कहा पैसे-वैसे तो उसने कहा वहीं भेज देना, तो उमेश आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है कि उसने बोल दिया, तो पदमचन्द जैन सहमति देता है, साथ ही कहता है कि जब तक आप कागज-पत्र और पैसे वैसे ले जाओ, तो उमेश सहमति देता है, साथ ही बहरोड एईन से भी बात कर लो, तो उमेश कहता है बात हो गई, इस पर पदम कहता है ले जाओ पैसे वैसे और माथे पे मार के आ जाओ, उमेश सहमति देता है।

9. दिनांक 4.08.2023 को समय 12:16:39 पर श्री पदमचन्द जैन के मोबाईल नम्बर 6350309651 तथा श्री उमेश के मोबाईल नम्बर 9116600516 के मध्य हुई वार्ता में पदमचन्द जैन और उमेश श्याम ट्यूबवेल कम्पनी के बहरोड से सम्बन्धित बिलों के भुगतान के बारे में वार्ता करते है। वार्ता में उमेश बताता है कि बहरोड एक्सईन कह रहा था कि सेठजी से मिलकर आना है, तो पदमचन्द जैन कहता है कि वो तो पैसे लेने आ रहा है, ऐसे ही थोडे दे दूंगा पैसे, पहले बिल तो निकाले, उसे कह देना आप तो बिल निकालो, पैसे उसे वहीं पहुंचा देंगे। 'A'

10. दिनांक 5.08.2023 को समय 19:10:15 पर श्री पदमचन्द जैन के मोबाईल नम्बर 6350309651 तथा श्री उमेश के मोबाईल नम्बर 9116600516 के मध्य हुई वार्ता में उमेश बताता है कि मै सुबह एक्सईन से टाईअप कर लूंगा कि वो कब तक आ रहा है, तो पदमचन्द जैन कहता है कि वो तो 11-12 बजे तक आयेंगे। तत्पश्चात् पदमचन्द जैन कहता है कि इनकी पर्ची वर्ची तो बना लो चोरों की, इस पर उमेश कहता है कि पर्ची क्या बनानी है, चैक अमाउन्ट देख के मै वहीं बता दूंगा। इस पर पदमचन्द जैन कहता है कि पहले का तो कोई मैटर पडा है ना, उसका क्या हुआ तो उमेश कहता है कि एईन डर रहा है और कह रहा है कि आप तो बिल्कुल ही फर्जीवाडा कर रहे हो, आगे उमेश 'B'

शर्मा, पदमचन्द जैन को आश्वस्त करते हुए कहता है कि मैं बाद में जेईन से करवा लूंगा या एडजस्ट करवा दूंगा।

11. दिनांक 6.08.2023 को समय 11:39:36 पर श्री प्रवीण के मोबाईल नम्बर 8112260937 तथा श्री पीयूष जैन पुत्र पदमचन्द जैन के मोबाईल नम्बर 9414038156 के मध्य हुई वार्ता में प्रवीण, पदमचन्द जैन के बारे में पूछता है और पीयूष को बताता है कि आज नीमराणा वाले एक्सईएन, एईएन सब यहीं आ रहे है, जिस पर पीयूष कहता है कि क्यों ? इस पर प्रवीण बताता है कि वो जेईएन, एईएन नाटक करते है ना बिल साईन करने में, तो एक्सईएन को यहां बुला लिया, उसके सामने बैठाकर के पैसे दे देकर बिल साईन करवा लेंगे फटाफट। बजट आया हुआ है डेढ करोड का।

इस प्रकार उपरोक्त वार्ताओं तथा अन्तावरोध अवधि से सम्बन्धित अन्य वार्ताओं को सुनने पर प्रकट हुआ कि श्री पदम जैन, फर्म श्याम ट्यूबवेल कम्पनी तथा श्री महेश मित्तल फर्म गणपति ट्यूबवेल कम्पनी द्वारा जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत श्री मायालाल सैनी, अधिशाषी अभियन्ता, बहरोड, अलवर तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से मिलीभगत कर, फर्मो से सम्बन्धित कार्यो के सम्पादन में अनियमितताओं के लिये अवैध संरक्षण, निविदा शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं करने में सुलभता प्रदान किये जाने, अनुचित रूप से बिलों के भुगतान प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में लोकसेवकों को अवैद्य पारितोषण प्रदान किया जा रहा है। उपरोक्त वार्ताओं में दिनांक 5.08.2023 तथा 6.08.2023 को पदमचन्द जैन की अपने कार्मिक उमेश शर्मा तथा पीयुष जैन व प्रवीण के मध्य हुई अन्तावरोध वार्ताओं तथा पूर्व की अन्य सम्बन्धित अन्तावरोध वार्ताओं से प्रकट हुआ है कि आज मायालाल सैनी, अधिशाषी अभियन्ता, बहरोड, जिला-अलवर बिलों को पास करने तथा भुगतान करवाने के लिए अन्य अधीनस्थ सम्बन्धित स्टाफ के साथ जयपुर पदमचन्द जैन के पास आ रहे है और बिल पास करके, वहीं पर भारी मात्रा में रिश्वत राशि प्राप्त करेंगे। उपरोक्त सम्बन्धित संलिप्त व्यक्तियों एवं लोकसेवकों को पकडने पर जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर किया जाना एवं रिश्वत राशि की बरामदगी किया जाना संभव हो सकता है।

उक्त सूत्र सूचना विश्वसनीय होने से ब्यूरो के उच्चाधिकारियों द्वारा आज दिनांक 06.08.2023 को मन् हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एसीबी की तकनीकी अनुभाग टीम के साथ सामन्जस्य बनाये रखते हुऐ कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये। इस पर ब्यूरो में कार्यालय हाजा के द्वारा पूर्व में पाबन्द किये गये गवाह को तलब किया गया तो श्री अंकुर गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री अरूण कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित कार्यालय आये। जिनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री अंकुर गुप्ता पुत्र श्री स्व. श्री नरेन्द्र प्रकाश गुप्ता, उम्र 36 साल, निवासी फ्लेट नं. 306, डीएलबी राईज अपार्टमेन्ट, मानसरोवर एक्सटेन्शन जयपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर विकास प्राधिकरण (प्रकोष्ठ-8) जयपुर व दुसरे ने अपना नाम श्री अरूण कुमार पुत्र श्री के0एम0 बैरवा, उम्र 49 साल, निवासी मकान नं. बी-129, महेश नगर, 80 फिट रोड़, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर विकास प्राधिकरण (प्रकोष्ठ-10) जयपुर बताया। जिनको उक्त गोपनीय सूत्र सूचना व की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करावकर गवाह बनने की सहमति चाही जाने पर उक्त दोनो द्वारा मौखिक सहमति प्रदान की गई। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री सुरेश कुमार स्वामी उप अधीक्षक पुलिस, श्री मूलचन्द, पुलिस निरीक्षक, श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि0 51, श्री सुभाषचन्द कानि0 नं0 592, श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245, श्री रजनी महिला कानि0 नं0 127, श्री सीताराम कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहन श्री अंकुर गुप्ता कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री अरूण कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता मय सरकारी वाहनो मय चालकों व लेपटोप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के संदिग्ध अधिकारी श्री मायालाल सैनी अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग,

बहरोड, व उनके अधीनस्थ एईएन जेईएन तथा श्री पदमचन्द जैन के मध्य होने वाले रिश्वत लेन-देन व सूत्र सूचना के अनुसार की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही हेतु तकनीकी अनुभाग के श्री केशर सिंह सहायक उप निरीक्षक तकनीकी अनुभाग से सामजंस्य रखते हुए ब्यूरो कार्यालय से 11.15 एएम पर रवाना होकर समय 11.35 एएम पर पोलो विक्ट्री, जयपुर के आस-पास पहुंचकर मुकीम हुए, जहां पर तकनीकी शाखा के श्री भारत सिंह एएसआई, श्री राहुल शर्मा हैड कानि0 नं0..80 श्री हिम्मत सिंह कानि0 217 उपस्थित मिले, जिनके ईशारे के इन्तजार में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन श्री अंकुर गुप्ता व श्री अरूण कुमार सहित समस्त टीम के मुकीम हुए। तकनीकी अनुभाग टीम के श्री राहुल शर्मा हैड कानि0 नं0 80, द्वारा समय करीब 12.15 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी एक संदिग्ध वाहन महिन्द्रा बोलेरो नियो नं0 आर जे 14 9670 पोलो विक्ट्री होटल की पार्किंग में आई, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति मायालाल सैनी, एक्सईएन व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के होने का पूरा-पूरा अंदेशा है। उक्त व्यक्ति होटल में रूककर श्री पदमचन्द जैन से मिलकर रिश्वती राशि का लेन-देन करने के पश्चात् वापस इसी वाहन से ही वापस जाने की संभावना है। जिस वक्त उक्त संदिग्ध कार इस होटल से निकलेंगी उस वक्त मै आपको ईशारा व फोन कर दूंगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त टीम को अलर्ट रहने की मुनासिब हिदायत कर तकनीकी अनुभाग के श्री राहुल शर्मा हैड कानि0 के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए। इस दौरान श्री राहुल शर्मा हैड कानि. व अन्य तकनिकी विभाग के पुलिस कर्मी मन् अति. पुलिस अधीक्षक से सामंजस्य बनाते हुये संदिग्धों की स्थिति के बारे में बताते रहे। समय 06.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री राहुल शर्मा हैड कानि0 द्वारा संदिग्ध वाहन महिन्द्रा बोलेरो नियो नं0 आर जे 14 टीई 9670 जिसमें संदिग्ध अधिकारी मायालाल सैनी, एक्सईएन व अन्य कर्मचारी होने व उक्त वाहन रेल्वे स्टेशन की तरफ रवाना होने की सूचना दी जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हमराही टीम के सदस्य श्री मूलचन्द, पुलिस निरीक्षक मय टीम को पोलो विक्ट्री होटल के आस-पास व पार्किंग की निगरानी हेतु मामुर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान, स्वतंत्र गवाहन, राहुल शर्मा हैंड कानि. व अन्य तकनीकी अनुभाग टीम के सदस्यों के साथ सरकारी व प्राईवेट वाहनो से संदिग्ध वाहन महिन्द्रा बोलेरो नियो नं0 आर जे 14 टीई 9670 जिसके पिछे बम्फर पर लाल अक्षरों में राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, के पीछे-पीछे रेल्वे स्टेशन की तरफ रवाना हुए, समय 6.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय टीम द्वारा उक्त संदिग्ध वाहन को नियमानुसार चोमु पुलिया, जयपुर पर रोककर उक्त वाहन को रोड़ के साईड में खड़ा करवाते हुए उक्त संदिग्ध वाहन में बैठे व्यक्तियो को डिटेन कर अपना व स्वतंत्र गवाहन मय टीम का परिचय देकर व वाहन को रूकवाने का प्रयोजन बताकर वाहन में बैठे व्यक्तियो से नाम पता पूछा तो ड्राईवर सीट के पास सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्री मायालाल सैनी पुत्र श्री छाजुराम सैनी उम्र 52 साल निवासी सिंघाणा तहसील बुहाणा जिला झुन्झुनू हाल अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, डिवीजन खण्ड बहरोड़, अलवर बताया। ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मलकेत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह उम्र 37 साल निवासी बमोरिया पुलिस थाना महेन्द्रा सेज, तहसील सांगानेर जयपुर हाल सुपरवाईजर व ड्राईवर श्री श्याम ट्यूबेल कंपनी जयपुर बताया। बीच की सीट पर तीन व्यक्तियो में से एक ने अपना नाम श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री गजराज उम्र 35 साल निवासी गांव सिरयाणी पुलिस थाना शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग नीमराना जिला अलवर बताया, दूसरे ने अपना नाम श्री राकेश चौहान पुत्र ओमपाल सिंह उम्र 31 साल निवासी ग्राम गूगल कोटा, पुलिस थाना शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर हाल सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग नीमराना जिला अलवर बताया तथा तिसरे ने अपना नाम श्री

राधेश्याम पुत्र श्री हरिचन्द उम्र 52 साल निवासी ढाणी गैसकोन पोस्ट बाबरू तहसील विराट नगर जिला जयपुर पैशा कारीगरी होना बताया। उक्त डिटेनशुदा पांच व्यक्तियो की जामा तलाशी ली जाकर तलाशी में मिले मोबाईल फोन व अन्य वस्तुएं स्वतंत्र गवाह श्री अरूण कुमार के पास रखवाये गये। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त सभी व्यक्तियो को पोलो विक्ट्री होटल में उनके व श्री पदम जैन, फर्म श्री श्याम ट्यूबेल कंपनी के मध्य हुए संदिग्ध रिश्वत राशि लेन-देन के बारे में पूछा तो वाहन में बैठे समस्त व्यक्तियो ने इस प्रकार के किसी भी रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बंध में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए स्पष्ट मना किया, जिस पर समस्त व्यक्तियो को कार से नीचे उतारकर स्वतंत्र गवाहन से वाहन की तलाशी लिवाई गई तो वाहन में रखे समस्त बैगो की तलाशी के दौरान बीच की सीट पर रखे आसमानी व काले रंग के बैग की तलाशी में उपर से चार नम्बर की जेब में 500-500 रूपये (भारतीय चलन मुद्रा) की चार गड्डियां व 500-500 रूपये के नोट मिले, जिनको स्वतंत्र गवाह श्री अरूण कुमार से गिनवाई गई तो उक्त 500-500 रूपये के 440 नोट कुल राशि 2,20,000/-रूपये हुए, उक्त राशि के साथ बैग में तीन एमबी बुक, एक लाल रंग का डैल कंपनी का लेपटोप एक पर्स, एक डायरी व कुछ कागजात मिले। पर्स में संदिग्ध श्री प्रदीप कुमार का डीएल व प्रदीप से संबंधित अन्य कागजात मिले। उक्त समस्त सामान को कब्जा एसीबी लिया जाकर स्वतन्त्र गवाहान श्री अरूण कुमार को सुरक्षित सम्भलाया गया जिनको पृथक से जरिये फर्द जब्ती, जब्त किया जायेगा। उक्त बैग के स्वामित्व के सम्बंध में पूछा गया तो उपस्थित श्री प्रदीप कुमार कनिष्ठ अभियंता ने अपना बताते हुए बैग में मिली राशि के सम्बंध में अनभिज्ञता जाहिर की, साथ ही अन्य डिटेन किये गये संदिग्ध व्यक्तियो ने भी उक्त राशि के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया इसी दौरान श्री प्रदीप कुमार कनिष्ठ अभियन्ता एकदम से टीम से छुडाकर भागने लगा जिसको हमराही जाप्त ने काफी मशक्कत से काबू किया तथा तस्सली देकर पुनः बैग में रखी राशि के बारे में पूछा तो मौन रहकर कोई जबाव नही दिया। वाहन में पाये गये अन्य बैगों की तलाशी में उनमें कोई सदिग्ध वस्तु नही पाई गई। चूंकि उक्त स्थान काफी भीड़भाड़ वाला व व्यस्त परिवहन स्थान होने के कारण इस स्थान पर आगे की कार्यवाही नही की जा सकती है। अतः अग्रीम कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री सुरेश कुमार स्वामी मय समस्त हमराहियान व संदिग्ध पांचो व्यक्तियो को जरिये सरकारी वाहनो एवं संदिग्ध वाहन महिन्द्रा बोलेरो नियो नं0 आर जे 14 टीई 9670 के पुलिस थाना बनीपार्क जाने के लिए मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री मूलचन्द, पुलिस निरीक्षक व अन्य जाप्ता को पोलो विक्ट्री होटल में प्रवेश कर संदिग्ध श्री पदमचन्द जैन व उसके पास उपस्थित अन्य व्यक्तियों को डिटेन करने के निर्देश देकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय तकनीकी अनुभाग टीम के श्री राहुल हैड कानि0 व श्री सुभाष चन्द कानि0 592 को हमराह लेकर पोलो विक्ट्री के लिए रवाना होकर समय 6.35 पीएम पर पोलो विक्ट्री रॉयल होटल पहुंचा, जहां पर एक कमरे में श्री मूलचन्द पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा तीन व्यक्तियो डिटेन किया हुआ था, जिनके बारे में पुलिस निरीक्षक ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि इनमें एक व्यक्ति श्री पदम जैन है, दूसरा व्यक्ति श्री लखन सिंह पुत्र श्री रामकरण मीणा, उम्र 36 साल निवासी गांव मलवास, दौसा हाल एक्सईएन जमवारामगढ है तथा तीसरा व्यक्ति श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं व हमराहियान का परिचय देते हुए आने का प्रयोजन बताया गया। श्री लखन सिंह एक्सईएन ने श्री पदम जैन द्वारा पीएचईडी विभाग जमवारामढ में किये जा रहे कार्यो के सम्बंध विचार विमर्श के लिए आना बताया व श्री प्रवीण ने श्री पदम जैन का कर्मचारी होना बताया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री पदम जैन से पूछा तो उसने अपना नाम पता श्री पदम जैन पुत्र स्व0 श्री रामकरण जैन उम्र 61 साल निवासी मकान नं0 09, कान्ति नगर, स्टेशन

रोड़, पोलो विक्ट्री जयपुर होना बताया जिसको श्री मायालाल सैनी, एक्सईएन, श्री प्रदीप कुमार जईएन वगैरा से मिलकर उनको दी गई राशि 2,20,000 रूपयों के बारे में पूछा तो पदमचन्द जैन बताया कि आपके बताये व्यक्ति ना तो आज इस होटल में आये, ना मै उनसे मिला तथा ना ही मैने उनको किसी प्रकार की रूपये-पैसे दिये। पदमचन्द जैन द्वारा उक्त व्यक्तियों से आज मिलने, उनको किसी प्रकार की राशि देने से साफ इन्कार किया है। अत: संदिग्ध श्री पदमचन्द जैन व डिटेन शुदा पांचों संदिग्ध व्यक्तियों को आमने सामने कर पूछताछ की जायेगी, अत: श्री पदमचन्द जैन को डिटेन किया गया। तत्पश्चातद उक्त कमरे की सरसरी तौर पर तलाशी ली गई तो पदम चन्द जैन की टेबल के पास रखे एक भूरे रंग के बैग की तलाशी लेने पर उक्त बैग में कुल 2,55,000 रूपये मिले जिनमें 500 रूपये के 430 नोट, 200 रूपये के 200 नोट मिले तथा पदमचन्द जैन की तलाशी में 15,000 रूपये जिनमें 500 रूप्ये के 28 नोट एवं 100 रूपये के 10 नोट मिले जिनके बारे में सन्तोषप्रद जबाव नही देने से संदिग्ध मानते हुये कब्जा एसीबी लिया जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री अंकुर गुप्ता व श्री संजय कुमार, उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखवाया गया। संदिग्ध श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल की जामा तलाशी ली गई 44400 जिनमें 500 रूपये के 82 नोट, 200 रूपये के 17 नोट एवं 20 रूपये के 02 नोट मिले जिनके बारे में श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल द्वारा सन्तोषप्रद जबाव नही देने से संदिग्ध मानते हुये कब्जा एसीबी लिया जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री अंकुर गुप्ता व श्री संजय कुमार, उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखवाये गये। भूरे रंग के हैड बैग में एक पेन ड्राईव व कुछ दस्तावेज है जिनके संबंध में अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट की जायेगी। अत: भूरे रंग का हैण्ड बैग मय पैन ड्राईव व दस्तावेज कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि श्री पदम चन्द जैन व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को आमने-सामने कर पूछताछ की जानी है, अत: श्री पदमचन्द जैन के दोनो मोबाईल फोन एवं प्रवीण कुमार के दोनो मोबाईल फोन को श्री संजय कुमार, उप अधीक्षक पुलिस को संभलाया गया। उपस्थित श्री मूलचन्द पुलिस निरीक्षक को मय जाप्ता मय वाहन के आवश्यक हिदायत कर श्री पदम चन्द जैन को साथ लेकर पुलिस थाना बनीपार्क पहुंचने के निर्देश दिये। तत्पश्चात मौके पर मौजूद अन्य संदिग्ध श्री प्रवीण कुमार, श्री लखन सिंह, एक्सईएन की निगरानी हेतु श्री संजय कुमार, उप अधीक्षक पुलिस मय टीम को सुपुर्द किया तथा पोलो विक्ट्री होटल में स्थित श्री पदम चन्द जैन के कार्यालय कक्षो एवं उक्त संदिग्धों की निगरानी हेतु पोलो विक्ट्री होटल में ही छोड कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान व स्वतन्त्र गवाह के पुलिस थाना बनीपार्क के लिए रवाना होकर समय करीब 8.00 पीएम पुलिस थाना बनीपार्क पहुंचे जहां पर श्री सुरेश कुमार स्वामी उप अधीक्षक पुलिस मय टीम व पांचो संदिग्ध डिटेन किये हुए व्यक्तियो के साथ एवं श्री मूलचन्द, पु.नि. श्री पदमचन्द जैन के साथ थाने पर मौजुद मिले, अत: पुलिस थाना बनीपार्क में आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व थाना इंचार्ज से अनुसंधान कक्ष में अग्रीम कार्यवाही के लिए मौखिक अनुमति लेकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सूत्र सूचना से प्रकट हुये तथ्यों से श्री महेश मित्तल, ठेकेदार की फर्म गणपति ट्यबवेल कम्पनी की भूमिका अत्यन्त संदिग्ध होने से उपस्थित श्री मूलचन्द, पुलिस निरीक्षक को आवश्यक हिदायत कर श्री महेश मित्तल को डिटेन कर लाने हेतु रवाना किया गया। डिटेन किये गये पांचो संदिग्धों की जामा तलाशी में मिली वस्तुओं को स्वतन्त्र गवाह श्री अरूण कुमार के पास सुरक्षित रखवाई गई थी जिनमें संदिग्ध श्री मायालाल सैनी, एक्सईएन की जामा तलाशी के सामान में दो मोबाईल फोन जिसमें से एक रियलमी कम्पनी बरंग काला मय ग्रे रंग बैक कवर जिसमें वोडाफोन कम्पनी की सिम नम्बर 9982510982 लगी हुई, जिसके आईएमईआई नम्बर 863265056060697, 863265056060689 है तथा दुसरा मोबाईल फोन वीवो कम्पनी बरंग गहरा नीला मय पारदर्शी बैक कवर जिसमें जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 7877977731 लगी हुई, जिसके आईएमईआई नम्बर 867681063729635,

867681063729627 है तथा आरोपी के पास कुल 11610/- रूपये नकद तथा आधार कार्ड आईडी कार्ड व दो चाबीया है। संदिग्ध श्री प्रदीप कुमार, जेईएन की जामा तलाशी के सामान में दो मोबाईल फोन जिसमें से एक सैमसंग कम्पनी बरंग काला मय पारदर्शी जिसमें जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 7988796255 व एक बीएसएनएल कम्पनी की सिम नम्बर 8279100782 लगी हुई जिसके आईएमईआई नम्बर 353250118154750, 353276118154755 है तथा मोबाईल कवर के पीछे कुल 500/- रूपये मिले है। संदिग्ध श्री राकेश सिंह, एईएन की जामा तलाशी के सामान में एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी बरंग ग्रीन मय पारदर्शी बैक कवर जिसमें एक जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 8078635177 व एक बीएसएनएल कम्पनी की सिम नम्बर 8279100738 लगी हुई जिसके आईएमईआई नम्बर 862651057885235, 862651057885227 है तथा मोबाईल कवर के पीछे कुल 540/- रूपये नकद मिले है। संदिग्ध श्री मलकेत सिंह, बोलेरा चालक की जामा तलाशी के सामान में एक मोबाईल फोन ओपो कम्पनी बरंग सुनहरा काला जिसमें एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 9783883250 व दुसरी जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 7014677311 लगी हुई जिसके आईएमईआई नम्बर 865392065257136, 865392065257128 है। तथा आरोपी के कब्जे से एक पर्स जिसमें कुल 17320/- रूपये तथा दो एटीएम कार्ड, पेन कार्ड ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, दो डायरी व अन्य विजिटिंग कार्ड एवं 75040/- रूपये पर्स के अलावा मिले है। संदिग्ध श्री राधेश्याम बुनकर की जामा तलाशी में एक मोबाईल फोन रियलमी कम्पनी बरंग नीला जिसमें एक जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 8003562425 लगी हुई जिसके आईएमईआई नम्बर 868084041127312, 868084041127304 है, मिले है। उपरोक्त संदिग्धों की जामा तलाशी में पाये गये समस्त सामान को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् मन् अनुसंधान अधिकारी द्वारा डिटेनशुदा श्री मायालाल सैनी अधिशाषी अभियंता से रिश्वत के रूपयों 2,20,000 के संबंध में पूछताछ व स्पष्टीकरण लिया गया तो उसने बताया कि आज सुबह करीब 10 बजे बहरोड़ से श्री मलकेत सिंह, श्री प्रदीप कुमार जेईएन, श्री राकेश चौहान, एईएन के साथ महिन्द्रा बोलेरो गाड़ी में बैठकर समय करीब 12.00-12.15 बजे पोलो विक्ट्री रॉयल होटल, जयपुर पहुंचे थे, जहां पर फर्म श्री श्याम ट्यूबेल कंपनी के ठेकेदार श्री पदम जैन ठेकेदार, उमेश शर्मा के साथ मिटींग की थी, श्री पदम जैन का जल जीवन मिशन के तहत नीमराना सब डिवीजन में इनका पाईप लाईन, टंकी निर्माण का कार्य चल रहा है, बातचीत के दौरान पदम जैन फोन करके अपने पैटी ठेकेदारों (अधिनस्थ ठेकेदार) को होटल में बुला रहा था जिस पर दो पैटी ठेकेदार श्री शंकर व श्री अजीत होटल में आये थे, जिनको पदम जैन ने टंकी निर्माण व पाईप लाईन डालने का कार्य समय पर पूरा करने के लिए पांबद किया था। उक्त जल जीवन मिशन योजना मार्च 2024 में समय सीमा खत्म हो जायेगी। जिस कारण ठेकेदार इन कार्यो को पूरा करवाने की जल्दबाजी कर रहा है। एक और फर्म गणपति ट्यूबवेल कम्पनी जो पदमजैन के साले श्री महेश मित्तल ठेकेदार की है, इस फर्म का कार्य भी पदमजैन ही देखता है जिसके द्वारा भी नीमराणा, बहरोड़ में पानी पाईप लाईन, ट्यूबवेल व टंकी निर्माण के कार्य किये जाते है। हमारे विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा विडियों कॉन्फ्रेसिंग के दौरान उक्त जल जीवन मिशन के कार्यो को लेकर हमारी खींचाई होती है इसलिए हम सभी आज श्री पदमजैन से मिलने पोलो विक्ट्री होटल में आये थे। आज हमारा पदम जैन से एनआईटी-15 फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल कम्पनी व एनआईटी-33, फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल द्वारा खण्ड नीमराणा, बहरोड में पानी पाईप लाईन, ट्यूबवेल व टंकी निर्माण के रूके हुये कार्यो को समय पर किये जाने बाबत बातचीत हुई थी। राधेश्याम बुनकर के बारे में पूछने पर बताया कि राधेश्याम हमारे साथ सुबह नही आया था वो पदम जैन के पास काम लेने हेतु आया था जो कोटपूतली की ओर का रहने वाला है, जो किराया बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी में साथ बैठ गया था। इसके बारे में मै ज्यादा नही जानता हूं। श्री मायालाल सैनी से बालेरो गाड़ी में

रखे बैग में मिले 2,20,000 रूपयों के बारें में पूछने पर बताया कि इन रूपयों से मेरा कोई लेना-देना नही है, ये रूपये किसके है व हमारी गाड़ी में कहां से आये, कौन रख गया इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। हमारी गाड़ी में बैठे जेईएन प्रदीप कुमार व एईएन राकेश चौहान का कार्य क्षेत्र मेरे अधीन आता है इसलिए हम तीनों साथ में ही पदमजैन से डिस्कस करने आये थे। एमबी के बारे में पूछने पर बताया कि श्री पदम जैन के हमारे क्षेत्र में पाईपलाईन, ट्यूबवेल व टंकी निर्माण के कार्य चले रहे है जिसकी एमबी आज साथ लाये थे या नही इसके बारे में मुझे जानकारी नही है तथा एमबी भरने का कार्य जेईन प्रदीप कुमार करता है। मै पहले भी कार्य के सिलसिले में पदम जैन से मिलता रहा हूं तथा पोलो विक्ट्री, जयपुर आता जाता रहा हूं। पदम जैन से मेरी रिश्वत के रूपयों के संबंध में कभी भी बात नही हुई। उमेश के बारे में पूछने पर बताया कि आज दिन में उमेश भी हमारे साथ था जो रिटायर्ड एक्सईएन है तथा पदम जैन के तकनिकी कार्यो को देखता है। संदिग्ध श्री मायालाल सैनी, एक्सईएन को दिनांक 03.06.2023 को समय 9.50. 43 पर उसके मो.नं. 9982510982 व महेश मित्तल के मोबाईल नम्बर 9549650922 के मध्य हुई अन्तावरोध अवधि के दौरान हुई वार्ताओं, दिनांक 16.06.2023 को समय 8.41.00 पर उसके मो.नं. 9982510982 व श्री पदम चन्द जैन के मोबाईल न. 9829215258 के मध्य हुई वार्ताओं, दिनांक 30.05.2023 को समय 20:22:09 पर श्री महेश मित्तल के मोबाईल नम्बर 9549650922 तथा श्री हेमन्त मित्तल के मोबाईल नम्बर 8696321111 के मध्य व अन्य संदिग्ध वार्ताओं के बारे में बताया तो श्री मायालाल सैनी, एक्सईएन ने अपनी गलती मानते हुये गर्दन झुका ली। उपरोक्तानुसार पूछताछ व वार्ताओं से स्पष्ट है कि मायालाल अधिशाषी अभियन्ता द्वारा स्वयं रिश्वत प्राप्त करना, साथ ही उच्चाधिकारियों के लिये रिश्वत पहुंचाने के माध्यम के रूप में काम करना तथा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए, संबंधित फर्मो के संचालकों से भारी मात्रा में रिश्वत राशि की मांग की जाकर अवैद्य पारितोषण प्राप्त किया जाना पाया गया है। अत: श्री मायालाल सैनी, एक्सईएन का स्पष्टीकरण मानने योग्य नही है। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा अन्य संदिग्ध श्री प्रदीप कुमार, जेईएन को बुलाकर पूछताछ व रूपयों के संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया तो उसने बताया कि आज सुबह समय करीब 9.30 बजे मै व राकेश चौहान एईएन नीमराना से श्री मलकेत सिंह, की बोलेरो गाड़ी नं. आरजे 14 टीई 9670 से रवाना होकर बहरोड़ पहुंचे जहां से श्री मायालाल सैनी एक्सईएन को उनके सरकारी क्वाटर से साथ लेकर हम समय करीब 12.00-12.15 बजे जयपुर पोलो विक्ट्री होटल में पहुंचे तथा बोलरो नियो गाड़ी होटल की पार्किंग में खड़ी कर श्री पदम चन्द जैन से बातचीत करने उनके कमरे में चले गये। श्री पदम चन्द जैन की फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल कम्पनी व श्री महेश मित्तल की फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल द्वारा खण्ड नीमराणा, बहरोड में पानी पाईप लाईन, ट्यूबवेल व टंकी निर्माण के रूके हुये कार्यो को समय पर किये जाने के संबंध में बातचीत हुई थी। पदम चन्द जैन बड़ा ठेकेदार है जिसके पाईप लाइन व टंकी निर्माण संबंधि अनेक कार्य खण्ड बहरोड़ व नीमराना में चल रहे है जो मेरे अधीन आते है जिनकी एमबी मेरे द्वारा ही भरी जाती है, इस कारण से मै इनको पहले से भी जानता हूं। मलकेत सिंह इनका सुपरवाईजर है जो इनकी फर्म की गाड़ी भी चलाता है। उमेश मित्तल रिटायर्ड एक्सईएन है जो इनका तकनिकी कार्य देखता है। इस पर श्री प्रदीप कुमार को रिश्वत के रूपयों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज दिन में होटल में ये रूपये पदम चन्द जैन ने अपने ड्राईवर मलकेत सिंह को दिये थे जो मलकेत द्वारा पदम चन्द जैन की साईटों पर कार्य कर रहे मजदूरों/लैबर को देने थे, मेरा इन रूपयों से कोई लेना-देना नही है। रूपये स्वयं के बैग में होने के बारे में पूछने पर बताया कि ये रूपये मलकेत सिंह ने ही मेरे बैग में रखे होगे, ये रूपये मेरे नही है। जिस पर संदिग्ध श्री प्रदीप कुमार, जेईएन को पदम चन्द जैन व अन्य संदिग्धों के मध्य अन्तावरोध अवधि के दौरान हुई

वार्ताओं के बारे में बताया तो उसने उक्त वार्ताओं के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करते हुये नजरे झूका ली। इस प्रकार श्री प्रदीप कुमार जेईएन द्वारा अपने उच्च अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर श्री पदम चन्द जैन की फर्म श्री श्याम ट्यबवेल कम्पनी द्वारा किये जा रहे कार्यो के सम्पादन में अनियमितताओं के लिये अवैध संरक्षण प्रदान कर संबंधित फर्मो को अनुचित रूप से लाभ प्रदान कर इसकी एवज में स्वयं के लिए व उच्च अधिकारियों के रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया है। अन्य संदिग्ध श्री मलकेत सिंह, ड्राईवर को बुलाकर पूछताछ व स्पष्टीकरण लिया गया जिसने बताया कि मै पदमचन्द जैन की फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल कम्पनी द्वारा बहरोड़ व नीमराना में पाईप लाईन, टंकी निर्णाण व ट्यूबवेल संबंधि कार्यो को देखता हूं तथा सुपरवाईजर के रूप में कार्य करता हूं साथ ही श्री पदमचन्द जैन द्वारा फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल कम्पनी के किये जा रहे कार्यो को भी मै देखता हूं। मेरा काम जयपुर से लैबर को बजरी, ईटे, पराते आदि साईट पर पहुंचाने का है। मुझे पदमचन्द जैन के पास उक्त कार्य करते हुये करीब एक साल ही हुआ है, पहले मै महेन्द्रा सेज में कार्य करता था। आज पदम चन्द जैन ने मेरे को फोन पर कहा था कि साब लोग आयेंगे जिनको अपनी पोलो विक्ट्री होटल में लेकर आना है इसलिए आज सुबह करीब 9-10 बजे मै श्री प्रदीप कुमार जेईएन व श्री राकेश कुमार एईएन को अपनी बोलेरा नियों गाडी नं. आरजे 14 टीई 9670 में नीमराना से बैठाकर व श्री मायालाल सैनी, एक्सईएन साहब को बहरोड़ से बैठाकर पोलो विक्ट्री होटल में आया था। संदिग्ध प्रदीप कुमार जेईएन के बैग में मिली संदिग्ध राशि 2,20,000 रूपयों के संबंध में पूछने पर बताया कि उक्त राशि के बारे में मेरे को कोई जानकारी नही है। मलकेत सिंह के पास मिली नगद राशि के बारे में पूछने पर उसने बताया कि इस राशि में से 75000 रूपये मुझे पदम चन्द जैन ने ग्राम पचांयत जोनायचा खुर्द के सरपंच अजित द्वारा हमारी पाईप लाईन के उपर ब्लॉक हटाकर वापस रिपेयर करवाने में आये खर्चे के दिये थे जो एईएन साहब राकेश जी के कहे अनुसार सपरंच को देने थे तथा अलग मिले 17320 रूपये मेरे स्वयं के खर्चे के है। इसके अलावा पदमचन्द जैन ने मुझे और कोई रूपये नही दिये। जिस पर संदिग्ध मलकेत सिंह को प्रदीप कुमार जेईएन के बैग में मिली संदिग्ध राशि 2,20,000 के संबंध में पुंन: पूछा गया तो उसने अनभिज्ञता जाहिर की तथा उक्त रूपयों के संबंध में कोई जानकारी नही होना बताया। उक्त तथ्य संदिग्ध प्रदीप कुमार, जेईएन के बताये गये तथ्यों से विरोधाभाषी होने से स्थिति स्पष्ट करने हेतु उक्त दोनो प्रदीप कुमार व मलकेत सिंह का आमना-सामनां स्वतन्त्र गवाहो की उपस्थिति में करवाया जाकर पूछताछ की गई तो मलकेत सिंह ने प्रदीप कुमार के सामने भी प्रदीप कुमार द्वारा बताये गये तथ्य संदिग्ध राशि 2,20,000 मलकेत सिंह द्वारा बैग में डालकर देने की पुष्टी नही की। अत: उपरोक्तानुसार पूछताछ के विश्लेषण से संदिग्ध श्री मलकेत सिंह का रिश्वत लेन-देन में लिप्तता एवं सहयोग करना पाया गया है। अत: स्पष्टीरण माननीय योग्य नही पाया गया। उक्त आमना-सामना पुछताछ की विडियोग्राफी की गई। तत्पश्चात श्री राकेश चौहान, एईएन से पूछताछ व रूपयों के संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया तो उसने बताया कि आज सुबह में समय करीब 9.30 बजे मै व प्रदीप कुमार जेईएन नीमराना से श्री मलकेत सिंह, की बोलेरो गाड़ी नं. आरजे 14 टीई 9670 से रवाना होकर बहरोड़ पहुंचे जहां से श्री मायालाल सैनी एक्सईएन को उनके क्वाटर से साथ लेकर हम समय करीब 12.00-12.15 बजे जयपुर पोलो विक्ट्री होटल में पहुंचे तथा गाड़ी होटल की पार्किंग में खड़ी कर श्री पदम चन्द जैन से बातचीत करने होटल में उनके ऑफिस में चले गये। श्री पदम चन्द जैन की फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल कम्पनी व श्री महेश मित्तल की फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल द्वारा खण्ड नीमराणा, बहरोड में पानी पाईप लाईन, ट्यूबवेल व टंकी निर्माण के रूके हुये कार्यो को समय पर किये जाने के संबंध में बातचीत हुई थी। पदम चन्द जैन के पाईप लाइन व टंकी निर्माण संबंधि अनेक कार्य खण्ड बहरोड़ व नीमराना में चल रहे है जो मेरे व जेईएन

प्रदीप कुमार के कार्यक्षेत्र में आते है जिनकी एमबी व बिल मेरे द्वारा सत्यापित कर एक्सईएन साहब मायालाल सैनी के पास भिजवाये जाते है। मलकेत सिंह इनका सुपरवाईजर है जो इनकी फर्म की गाड़ी भी चलाता है। उमेश मित्तल रिटायर्ड एक्सईएन है जो इनका तकनिकी कार्य देखता है। इस पर श्री राकेश चौहान एईएन को रिश्वत के रूपयों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इन रूपयों से मेरा कोई लेना-देना नही है। उक्त बैग प्रदीप कुमार का है। जिस पर संदिग्ध श्री राकेश चौहान, एईएन को विभिन्न दिनांक को पदम चन्द जैन व अन्य संदिग्धों के मध्य अन्तावरोध अवधि के दौरान हुई संदिग्ध वार्ताओं के बारे में बताया तो इन वार्ताओं के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुये नजरे झूका ली। चूंकि श्री राकेश चौहान द्वारा अपने अधिनिस्थ श्री प्रदीप कुमार, जेईएन द्वारा भरी जाने वाली संबंधित फर्मो की एमबी, कार्यो के बिल आदि को सत्यापित किया जाता है, अत: श्री प्रदीप कुमार, जेईएन के बैग से बरामद रिश्वत राशि 2,20,000 के संबंध में श्री राकेश चौहान, एईएन का अनभिज्ञता जाहिर करना, उक्त राशि में श्री राकेश चौहान की हिस्सेदारी होने से इन्कार नही किया जा सकता। संदिग्ध श्री राकेश चौहान का वक्त रिश्वत राशि लेन-देन अन्य आरोपीगण के साथ रहकर अपराध में सहयोग करना तथा रिश्वत लेन-देन में लिप्त होना पाया गया है। अत: श्री राकेश चौहान, एईएन का स्पष्टीकरण मानने योग्य नही है। तत्पश्चात श्री राधेश्याम बनुकर से पूछताछ व रूपयों के संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया तो उसने बताया कि आज दिन में पदम चन्द जैन से काम के सिलसिले में मिला था। मैने पूर्व में श्री पदम चन्द के कोटपूतली एरिया में चल रही साईटो पर पम्प हाउस बनाने का काम करता था जो खत्म हो गया है। अब नीमराना में पम्प हाउस निर्माण के काम के लिए आया था तो पदमचन्द जैन ने मुझे मुनिम मलकेल सिंह से काम दिलवाने का कहा था। मै वापस किराया बचाने के हिसाब से इनकी गाडी में बैठकर मेरे गांव भाभरू जा रहा था तो आपने रास्ते में ही पकड़ लिया। मुझे श्री प्रदीप कुमार के बैग से मिले रूपयों के बारे में कोई पता नही है कि उक्त रूपये किसके है, किसने दिये है व क्यों दिये है। मेरे पास 500 रूपये थे जो मै मेरे घर से लेकर आया था। मेरे को पदमचन्द जी ने आज कोई रूपये-पैसे नही दिये। उक्तानुसार पूछताछ एवं स्पष्टीकरण से श्री राधेश्याम बुनकर की अपराध में संलिप्तता होना प्रतीत नही होता है।

तत्पश्चात अन्य सदिग्ध श्री पदम चन्द जैन को बुलाकर पूछताछ व रूपयों के संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया तो पदम चन्द जैन ने बताया कि मै प्लस वन ठेकेदार हूं तथा मेरी फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल कम्पनी है जो पूरे राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी पाईप लाईन डालने, ट्यूबवेल लगाने, पानी टंकी निर्माण के ठेके लेती है। मै मेरे अधीनस्थ पैटी ठेकेदार रखता हूं जो अलग-अलग जगह का काम देखते है। नीमराणा व बहरोड़ साईड में भी मैने पैटी ठेकेदार रखे हुये है। फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल कम्पनी मेरे साले महेश मित्तल की है जो भी उक्त कार्य ही करती है। उक्त फर्म गणपति के कुछ कार्य मेरी देख-रेख में किये जाते है। मलकेत सिंह मेरा सुपरवाईजर है जो नीमराणा-बहरोड़ साईड में मेरे कामों की देखरेख करता है। साथ ही मलकेत सिंह मेरी साईट की गाडी भी चलाता है जिसको मैने बोलेरो दे रखी है। उमेश हमारा कर्मचारी है जो आज हमारे साथ ही था तथा प्रवीन मेरे पास नौकरी करता है। श्री पदम चन्द जैन को आज माया लाल सैनी, एक्सईएन, श्री प्रदीप कुमार जेईएन, श्री राकेश चौहान एईएन से मिलने के बारें में पूछा गया तो उन्होने बताया कि मेरे पास आज कोई नही आया जिसको तस्सली देकर पुन: पूछा गया तो पदमचन्द जैन द्वारा पुन: अपनी कही बातों को दोहराया गया तथा बताया गया कि आज मायालाल सैनी, एक्सईएन और उसके आपके बताया कोई भी व्यक्ति मेरे पास होटल में नही आया। तत्पश्चात श्री पदम चन्द जैन को बोलेरा कार नं. आरजे 14 टीई 9670 में मिली संदिग्ध राशि 2,20,000 रूपयों के बारे में पूछा तो बताया कि आज दिन में

मैने मेरे ड्राईवर मलकेत सिंह व राधेश्याम को करीब 2,70,000 रूपये दिये थे जिनमे से 70,000 रूपये छोटे काम के लिए दिये थे तथा 2,00,000 रूपये पाईप लाईन पर लैबर को जेईएन-एईएन से पूछकर देने के लिए दिये थे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त राशि प्रदीप कुमार की बैग में से मिलने के बारे में पूछा तो बताया कि मैने तो उक्त राशि मलकेत सिंह को दी थी, जो प्रदीप कुमार जेईएन के बैग में कैसे चली गई इसका मुझे कोई पता नही है। मै आज प्रदीप जेईएन, राकेश एईएन व मायालाल एक्सईएन से नही मिला। उक्त तथ्य संदिग्ध मलकेत सिंह व श्री राधेश्याम के बताये गये तथ्यों से विरोधाभाषी होने से स्थिति स्पष्ट करने हेतु उक्त दोनो मलकेत सिंह व राधेश्याम से संदिग्ध पदमचन्द जैन का बारी-बारी पृथक-पृथक आमना-सामनां स्वतन्त्र गवाहो की उपस्थिति में करवाया जाकर पूछताछ की गई तो मलकेत सिंह व राधेश्याम ने पदमचन्द जैन के सामने उसके द्वारा बताये गये तथ्य मलकेत सिंह व राधेश्याम को करीब 2,70,000 रूपये देने व जिनमे से 70,000 रूपये छोटे काम के लिए देने तथा 2,00,000 रूपये पाईप लाईन पर लैबर को जेईएन-एईएन से पूछकर देने की पुष्टी नही की। संदिग्ध श्री पदमचन्द जैन को 20.05.2023 को समय 19:10:34 पर श्री महेश मित्तल के मोबाईल नम्बर 9828578936 तथा स्वयं के मोबाईल नम्बर 9829215258 के मध्य हुई वार्ता, दिनांक 21.05.2023 को समय 21:15:49 पर श्री महेश मित्तल के मोबाईल नम्बर 9828578936 तथा स्वयं के मोबाईल नम्बर 6350309651 के मध्य हुई वार्ता, दिनांक 15.06.2023 को समय 17:08:47 पर श्री उमेश के मोबाईल नम्बर 9116600516 व स्वयं के मोबाईल नम्बर 9829215258 के मध्य हुई वार्ताओं एवं अन्य अन्तावरोध के दौरान हुई अन्य संदिग्ध वार्ताओं के संबंध में अवगत कराया गया तो संदिग्ध श्री पदमचन्द जैन चुप हो गया तथा कोई उत्तर नही दे सका। अत: उपरोक्तानुसार किये गये पूछताछ व स्पष्टीकरण से पाया गया है कि संदिग्ध श्री पदम जैन, फर्म श्याम ट्यूबवेल कम्पनी द्वारा जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत श्री मायालाल सैनी, अधिशाषी अभियन्ता, बहरोड, अलवर तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से मिलीभगत कर, फर्मो से सम्बन्धित कार्यो के सम्पादन में अनियमितताओं के लिये अवैध संरक्षण, निविदा शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं करने में सुलभता प्रदान किये जाने, अनुचित रूप से बिलों के भुगतान प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में लोकसेवकों को अवैद्य पारितोषण पूर्व में प्रदान किया जा चुका है, उसी क्रम में आज दिनांक 06.08.2023 को भी इसके द्वारा जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत श्री मायालाल सैनी, अधिशाषी अभियन्ता, बहरोड, अलवर तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को रिश्वत के रूप में 2,20,000 रूपये दिये जाना पाया गया है। अत: संदिग्ध श्री पदम चन्द जैन का स्पष्टीकरण मानने योग्य नही है।

अत: ट्रेप कार्यवाही के दौरान संदिग्धो की बोलेरो कार नं. आरजे 14 टीई 9670 में रखे संदिग्ध श्री प्रदीप कुमार, जेईएन के बैग में से बरामद शुदा राशि 2,20,000 रूपये रिश्वत की होना पाये जाने से बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। प्रकरण में पूर्व में रवानाशुदा श्री मूलचन्द, पु.नि. ने अवगत कराया कि संदिग्ध श्री महेश मित्तल अपने घर व ऑफिस में नही मिला। उक्त संदिग्ध के कार्यालय की प्रकरण के संबंध में तलाशी ली जानी है जो कि आईन्दा ली जायेगी अत: श्री मूलचन्द पु.नि. को उक्त कार्यालय को चीट चस्पा कर सील्ड मोहर करने के निर्देश दिये गये। संदिग्धों द्वारा प्रयोग में लिये गये वाहन बोलरो नियो गाडी नं. आरजे 14 टीई 9670 के संबंध में श्री मलकेत सिंह से पूछा गया तो उसने बताया कि उक्त वाहन फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल के नाम से है जिसको मै चलाता हूं। उक्त वाहन का नजरी निरीक्षण किया गया तो गाड़ी के आगे-पिछे राजस्थान सरकार लिखा हुआ है जिसमें पिछे लकड़ी, तिरपाल व अन्य साईट पर काम आने वाले सामान रखे हुये है। उक्त वाहन को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया जिसकी फर्द जब्ती वाहन पृथक से मुर्तिब की जायेगी। प्रकरण में प्रासंगिक स्थान कार्यालय परिसर एवं कक्ष श्री

श्याम ट्यूबवेल कम्पनी होटल रॉयल पोलो विक्ट्री की तलाशी लिया जाकर कार्यवाही अपेक्षित होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री सुरेश कुमार स्वामी, पुलिस उप अधीक्षक को डिटेनशुदा संदिग्ध व्यक्तियों, कब्जा एसीबी लिये गये वाहन बोलेरो नं. आरजे 14टीई 9670 एवं कब्जाशुदा सामान के सरकारी वाहनों से पुलिस थाना बनीपार्क जयपुर से समय 10.15 पीएम पर ब्यूरो मुख्यालय हेतु रवाना कर स्वयं मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान के होटल रॉयल पोलोविक्ट्री जयपुर के लिए रवाना होकर समय 10.25 पीएम पर होटल रॉयल पोलो विक्ट्री पहुंचा जहां पर श्री संजय कुमार, उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता व संदिग्ध श्री प्रवीण कुमार व अन्य के उपस्थित मिले। श्री श्याम ट्यूबवेल कम्पनी से संबंधित कक्षों की तलाशी ली जानी है, अतः उक्त फर्म से संबंधित कक्षों चिह्नित किया गया, होटल के बेसमेन्ट मे खड़ी संदिग्ध श्री पदमचन्द जैन की फॉरचूनर कार को चैक किया तो कार अनलॉक है जिसकी सरसरी तौर पर तलाशी ली गई तो उसमें एक बैग मिला जिसमें कुछ संदिग्ध कागजात पाये जाने पर उक्त बैग को संदिग्ध श्री पदमचन्द जैन के कमरे मे लाकर रखा गया। उक्त कमरे व फर्म से संबंधित अन्य कक्षों की आइन्दा तलाशी ली जाकर अग्रीम कार्यवाही की जायेगी अतः उक्त कक्षों पर नियमानुसार सील चस्पा कर सील्ड मोहर किया गया। श्री पदमचन्द जैन व प्रवीण कुमार अग्रवाल की जामा तलाशी में मिले सामान, राशि, बैग, मोबाईल आदि को श्री संजय कुमार, उप अधीक्षक पुलिस के पास पूर्व से रखवाये गये बैग, मोबाईल आदि को स्वतन्त्र गवाह श्री अंकुर गुप्ता को संभलाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व कब्जाशुदा सामान के संदिग्ध श्री प्रवीन कुमार, श्री लखनसिंह, एक्सईएन को हमराह लेकर सरकारी वाहनों से समय करीब 1.40 एएम पर पोलो विक्ट्री होटल से रवाना होकर समय 2.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय हाजा पहुंचा। कार्यालय हाजा में पहुंच अग्रीम कार्यवाही के कम में संदिग्ध श्री प्रवीण कुमार से पूछताछ व स्पष्टीकरण लिया गया तो उसने अपना नाम श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सतीश कुमार अग्रवाल उम्र 51 साल निवासी मकान नं0 90, इस्कॉन रोड़, इस्कॉन मन्दिर के पास, मानसरोवर, जयपुर बताया। श्री प्रवीण कुमार ने बताया कि मै श्री पदमचन्द जैन की साईटों पर ठेकेदारी व देख-रेख का कार्य करता हूं साथ ही ऑफिस मे भी कार्य करता हूं। दिनांक 06.08.2023 को श्री पदम जी के लड़के पियूष जैन से मोबाईल पर वार्ता कर बताया था कि नीमराणा से एक्सईएन, जेईन व एईएन आ रहे है, उनके पास बजट आया हुआ है तो अपने बिल भी पास करवा लेना। मैने इनसे कोई रिश्वत राशि संबंधि कोई बात नही की जिस पर श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल को दिनांक 06.08.2023 को समय 11:39:36 पर श्री स्वयं के मोबाईल नम्बर 8112260937 तथा श्री पीयूष जैन पुत्र पदमचन्द जैन के मोबाईल नम्बर 9414038156 के मध्य हुई वार्ता के संबंध में बताया गया तो प्रवीन कुमार अग्रवाल ने अपनी गलती स्वीकार की। इस प्रकार श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल द्वारा श्री पदम चन्द जैन से मिलीभगत कर फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल कम्पनी एवं फर्म गणपति ट्यूबवेल कम्पनी द्वारा किये जा रहे कार्यो के सम्पादन में अनियमितताओं, निविदा शर्तो के अनुरूप कार्य नही करने में सुलभता प्रदान किये जाने, अनुचित रूप से बिलों के भुगतान प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में लोकसेवकों को अवैध पारितोषण प्रदान किया जाना पाया गया है। अतः श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल का स्पष्टीकरण मानने योग्य नही है।स्वतन्त्र गवाह श्री अंकुर गुप्ता के पास रखवाये गये संदिग्ध श्री पदम चन्द जैन की जामा तलाशी के सामान में दो मोबाईल फोन जिनमें से एक सैमसंग कम्पनी बरंग सफेद मय सफेद बैक कवर जिसमें दो सिम एक जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 6350309651 व दुसरी बीएसएनएल कम्पनी की सिम नम्बर 9414038158 लगी हुई, जिसके आईएमईआई नम्बर 350472540429047, 358522240429044 है तथा दुसरा मोबाईल फोन एप्पल आईफोन 14 प्रो मेक्स बरंग परपल मय पारदर्शी बैक कवर जिसमें एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 9829215258 लगी हुई, जिसके आईएमईआई नम्बर 359451592070686,

359451592190229 है तथा संदिग्ध श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल के दो मोबाईल फोन जिनमें से एक वन प्लस बरंग हरा मय बैक कवर जिसमें जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 8112260937 लगी हुई जिसके आईएमईआई नम्बर 866978050837012, 866978050837004 तथा दुसरा मोबाईल फोन ओपो एफ-11 प्रो बरंग थंडर ब्लेक मय बैक कवर जिसमें एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 9602235282 लगी हुई जिसके आईएमईआई नम्बर 866208042176455, 866208042176448 है, जिनको कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्तानुसार बरामद रिश्वत राशि 2,20,000 रूपये, सूत्र सूचना रिपोर्ट से प्रकट हुये तथ्यों व अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यो से पाया गया है कि जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में टैण्डर प्राप्त करने, बिलों के भुगतान, कार्य में अनियमितताओं के लिये अवैद्य संरक्षण प्राप्त करने के लिये दिनांक 06.08.2023 को ठेकेदार पदम चन्द जैन द्वारा सम्बन्धित लोकसेवकों श्री मायालाल सैनी, एक्सईएन, श्री प्रदीप कुमार, जेईएन एवं श्री राकेश चौहान, एईएन को रिश्वत राशि 2,20,000 रूपये प्रदान किया जाना पाया गया है। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के दौरान सामने आये उपरोक्त परिस्थितियों, अन्तावरोध पर दर्ज वार्ताओं एवं सूत्र सूचना से प्रकट हुये तथ्यों से पाया गया कि श्री पदम चन्द जैन, ठेकेदार द्वारा अपनी फर्म श्याम ट्यूबवेल कम्पनी के कार्यो के लिए जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, बहरोड़ व नीमराना में पदस्थापित श्री मायालाल सैनी, अधिशाषी अभियन्ता, श्री राकेश चौहान, सहायक अभियन्ता, श्री प्रदीप कुमार, कनिष्ट अभियन्ता, स्वयं की फर्म श्री श्याम ट्यबूवेल कम्पनी के सुपरवाईजर तथा वाहन बोलेरो नं. आरजे 14टीई 9670 के चालक मलकेत सिंह, अपने ऑफिस में कार्य करने वाले कर्मचारी श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल से मिलीभगत कर फर्मो से सम्बन्धित कार्यो के सम्पादन में अनियमितताओं के लिये अवैध संरक्षण, निविदा शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं करने में सुलभता प्रदान किये जाने, अनुचित रूप से बिलों के भुगतान प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में लोकसेवकों को अवैद्य पारितोषण पूर्व में प्रदान किया जा चुका है, उसी कम में दिनांक 06.08.2023 को भी इसके द्वारा जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत श्री मायालाल सैनी, अधिशाषी अभियन्ता, बहरोड, अलवर तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को रिश्वत के रूप में 2,20,000 रूपये दिये जाना पाया गया है। इसी प्रकार जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में पदस्थापित अधिशाषी अभियन्ता श्री मायालाल सैनी द्वारा अपने अधिनस्थ पदस्थापित श्री प्रदीप कुमार, जेईएन, श्री राकेश चौहान, एईएन के साथ मिलीभगत कर संदिग्ध श्री पदम चन्द जैन की फर्म श्री श्याम ट्यबूवेल कम्पनी एवं संदिग्ध श्री महेश मित्तल की फर्म श्री गणपति ट्यबूवेल कम्पनी द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत बहरोड़, नीमराना में किये जा रहे कार्यो में की जा रही अनियमितताओं में अवैध संरक्षण, निविदा शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं करने में सुलभता प्रदान कर अनुचित रूप से बिलों के भुगतान करने की एवज में नियमित रूप से भारी मात्रा में रिश्वत राशि की मांग की जाकर अवैद्य पारितोषण प्राप्त किया जाना पाया गया है। अत: संदिग्ध आरोपिगण (1) श्री मायालाल सैनी, हाल अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, डिवीजन खण्ड बहरोड़, अलवर, (2) श्री प्रदीप कुमार हाल कनिष्ठ अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग निमाराणा जिला अलवर, (3) श्री राकेश चौहान हाल सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग निमाराणा जिला अलवर, (4) श्री मलकेत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह (प्राईवेट व्यक्ति), (5) प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सतीश कुमार अग्रवाल (प्राईवेट व्यक्ति) एवं (6) श्री पदमचन्द जैन पुत्र स्व0 श्री रामकरण जैन (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध अपराध अर्न्तगत धारा 7, 7क, 8 यथासंशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। सभी आरोपीगण को नियमानुसार अपनी आवाज का नमूना देने के संबंध में पृथक-पृथक नोटिस दिया गया जिस पर सभी ने अपनी आवाज का नमूना देने से इन्कार किया। अत: आरोपी (1) श्री मायालाल सैनी पुत्र श्री छाजुराम सैनी उम्र 52 साल निवासी 1104, कोठी

उम्र 31 साल निवासी ग्राम गूगल कोटा, पुलिस थाना शाहजहांपुर तहसील निमराणा जिला अलवर हाल सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग निमाराणा जिला अलवर, (4) प्राईवेट व्यक्ति श्री मलकेत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह उम्र 37 साल निवासी राजपुतो का मौहल्ला, सांगानेर, झाई, जयपुर (गांव बमोरिया पुलिस थाना महेन्द्रा सेज,) हाल सुपरवाईजर व ड्राईवर श्री श्याम ट्यूबेल कंपनी जयपुर (5) प्राईवेट व्यक्ति श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सतीश कुमार अग्रवाल उम्र 51 साल निवासी मकान नं0 90, इस्कॉन रोड़, इस्कॉन मन्दिर के पास, मानसरोवर, जयपुर (6) प्राईवेट व्यक्ति श्री पदमचन्द जैन पुत्र स्व0 श्री रामकरण जैन उम्र 61 साल निवासी मकान नं0 09, कान्ति नगर, स्टेशन रोड़, पोलो विक्ट्री जयपुर, (7) प्राईवेट व्यक्ति श्री महेश मित्तल, ठेकेदार फर्म गणपति ट्यूबवेल कम्पनी (8) प्राईवेट व्यक्ति श्री उमेश शर्मा (9) प्राईवेट व्यक्ति श्री पीयूष जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन एवं (10) अन्य लोक सेवक एवं प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7क, 8 यथासंशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट 6 प्रतियों में वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

(हिमांशु)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री माया लाल सैनी, हाल अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिवीजन खण्ड बहरोड़, जिला अलवर 2. श्री प्रदीप कुमार, हाल कनिष्ठ अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, निमराणा, जिला अलवर 3. श्री राकेश चौहान हाल सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, निमराणा, जिला अलवर 4. प्राईवेट व्यक्ति श्री मलकेत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, हाल सुपरवाईजर व ड्राईवर श्री श्याम ट्यूबवेल कम्पनी, जयपुर 5. प्राईवेट व्यक्ति श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सतीश कुमार अग्रवाल, निवासी मकान न0 90, इस्कॉन रोड़, इस्कॉन मन्दिर के पास मानसरोवर जयपुर 6. प्राईवेट व्यक्ति श्री पदमचंद जैन पुत्र स्व0 श्री रामकरण जैन निवासी मकान नं0 9, कांति नगर, स्टेशन रोड़, पोलो विक्ट्री, जयपुर 7. प्राईवेट व्यक्ति श्री महेश मित्तल ठेकेदार फर्म गणपति ट्यूबवेल कम्पनी 8. प्राईवेट व्यक्ति श्री उमेश शर्मा, 9. प्राईवेट व्यक्ति श्री पीयूष जैन पुत्र श्री पदम चंद जैन एवं 10. अन्य लोकसेवक एवं प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 215/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

भवदीय,

8/8/23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।